

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1336

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विषय में जागरूकता

1336. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई पहल की है / करने का विचार किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा हेतु हेल्पलाइन के बारे में महिलाओं को सूचित करने के लिए घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाने पर विचार कर रही है और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी)

(क) से (घ): घरेलू हिंसा एक सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक बुराई पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) जैसे संस्थानों और राज्यों में उनके समकक्ष संस्थानों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने हेतु सम्मेलनों, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी किए हैं। एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गए बुनियादी कानूनी अधिकारों और उपायों के बारे में व्यावहारिक

ज्ञान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए 'अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' का आयोजन किया है जिससे उन्हें वास्तविक जीवन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए जागरूक बनाया जा सके। निर्भया फंड के तहत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने भी कई पहलें की हैं जिसमें अन्य पहलों के अतिरिक्त जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआर एंड डी ने महिला सहायता डेस्क सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क' के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम और पता लगाने तथा अपराध पीड़ितों के साथ वार्तालाप के दौरान पुलिस के उचित व्यवहार और व्यवहारिक कौशल पर जोर दिया गया है। बीपीआर एंड डी ने संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों का महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने इत्यादि पर वेबिनार भी आयोजित किए हैं।

तथापि, केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना "मिशन शक्ति" क्रियान्वित कर रही है। इस योजना में 'वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)' घटक शामिल है जिसके तहत चिकित्सा सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, पुलिस सुविधा, कानूनी सहायता और परामर्श तथा 5 दिनों तक अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान की जाती हैं। इसके साथ दूसरा घटक है महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण (181-डब्ल्यूएचएल), जिसमें जरूरतमंद महिलाओं को उचित प्राधिकारियों से कनेक्ट करके आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाएं और सूचना सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) भी संकटग्रस्त महिलाओं के लिए उपलब्ध है जो आपात स्थिति के लिए संपूर्ण भारत के लिए एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप-आधारित प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, निर्भया फंड के तहत केंद्र सरकार ने सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित/सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) को 33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (112) के साथ और 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के साथ एकीकृत किया गया है।
